

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): ग्राम स्वराज की अवधारणा की ओर एक सशक्त कदम

डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा

DCDC, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

सारांश:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का बेरोजगारी रहित रोजगार उपलब्ध कराने की कानूनी गारंटी देता है। 2020-2025 के बीच हुए शोधों से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, पलायन में कमी, जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना विकास और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा दिया है। हालांकि, भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार, न्यून मजदूरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, तथा सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता की चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। ई-गवर्नेंस, स्थानीय योजना निर्माण, कुशल श्रमिक विकास, और कार्य दिवसों में वृद्धि जैसे सुधार इसे और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। मनरेगा आज भी ग्रामीण भारत के लिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की भावना को सशक्त रूप में जीवंत करता है।

प्रमुख कीवर्ड: मनरेगा (MGNREGA), ग्रामीण रोजगार (Rural Employment), महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment), सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit), ई-गवर्नेंस (E-Governance), जल संरक्षण (Water Conservation), सामाजिक सुरक्षा (Social Security)।

परिचय

भारत सरकार द्वारा लागू किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को आर्थिक सुरक्षा और रोजगार गारंटी प्रदान करना है। यह अधिनियम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू किया गया है जहाँ गरीबी, बेरोजगारी और आजीविका के संकट गहरे हैं। ग्रामीण भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन मौसम, संसाधनों की कमी और अवसरों के

अभाव के कारण बहुत से परिवारों के पास नियमित आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता। ऐसे में मनरेगा उन्हें सम्मानजनक और सुनिश्चित आजीविका का विकल्प प्रदान करता है।

यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया और इसे 2 फरवरी 2006 से चरणबद्ध रूप से लागू किया गया। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था, और बाद में पूरे देश में इसका विस्तार कर दिया गया। यह कानून देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहता है, हर वर्ष कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है।

मनरेगा का आधार इस विचार पर है कि रोजगार एक अधिकार होना चाहिए, न कि केवल एक सरकारी योजना का हिस्सा। यह अधिनियम रोजगार को एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करता है, जिसके अंतर्गत यदि किसी पात्र व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जाता, तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होता है। यह एक बड़ी विशेषता है, जो इसे अन्य योजनाओं से अलग करती है।

इस अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह स्थानीय स्तर पर कार्य के चुनाव और क्रियान्वयन को पंचायतों के माध्यम से सुनिश्चित करता है, जिससे न केवल लोकतांत्रिक भागीदारी को बल मिलता है, बल्कि यह कार्य भी स्थानीय ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप होते हैं। कार्य जैसे - जल संरक्षण, मिट्टी सुधार, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण आदि - न केवल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के टिकाऊ विकास में भी सहायक सिद्ध होते हैं।

महात्मा गांधी का सपना था कि ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बने और वहाँ के लोगों को सम्मानजनक जीवन यापन का अवसर मिले। मनरेगा उन्हीं आदर्शों को व्यावहारिक रूप देने का एक सशक्त प्रयास है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने न केवल गरीबों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में भी एक मजबूत नींव रखी है। इस योजना की निरंतर समीक्षा, पारदर्शिता और ज़मीनी निगरानी इसे और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक रही है।

इस प्रकार, मनरेगा आज सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और ग्रामीण पुनर्निर्माण की दिशा में भारत सरकार की एक अग्रणी पहल के रूप में स्थापित हो चुका है।

मनरेगा का उद्देश्य

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को **आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करना है। इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को **प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का सुनिश्चित और कानूनी रूप से गारंटीकृत रोजगार** प्रदान करता है। यह रोजगार अकुशल श्रम पर आधारित होता है और इच्छुक व्यक्ति को उसके ही गाँव में कार्य दिया जाता है, जिससे पलायन पर भी अंकुश लगाया जा सके।

मनरेगा का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य **आजीविका के साधनों को सुरक्षित और स्थिर बनाना** है। यह विशेष रूप से उन वर्गों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है जो समाज में आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से पिछड़े और संसाधनों से वंचित हैं। इनमें निर्धन परिवार, महिलाएँ, अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ शामिल हैं।

इसके अलावा, मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में **स्थायी परिसंपत्तियों** के निर्माण को भी बढ़ावा देता है। योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य जैसे—**जल संरक्षण, भूमि विकास, लघु सिंचाई परियोजनाएँ, वृक्षारोपण, तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण**—स्थानीय विकास को गति देते हैं और कृषि तथा पर्यावरण सुधार में भी मदद करते हैं।

मनरेगा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू **समावेशन** भी है। यह योजना विशेष रूप से **महिलाओं और हाशिए के समुदायों** को प्राथमिकता देती है, जिससे उनके सशक्तिकरण और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार, मनरेगा न केवल आर्थिक राहत का साधन है, बल्कि **समावेशी और टिकाऊ विकास** की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

मुख्य विशेषताएँ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की विशेषताएँ इसे अन्य योजनाओं से अलग और विशिष्ट बनाती हैं। यह अधिनियम **विश्व का पहला ऐसा रोजगार कार्यक्रम** है, जो श्रमिकों को **कानूनी रूप से रोजगार की गारंटी** देता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई पात्र ग्रामीण परिवार रोजगार के लिए आवेदन करता है, तो सरकार उस परिवार को कार्य उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होती है। यदि निर्धारित समय के भीतर कार्य नहीं दिया जाता, तो संबंधित व्यक्ति को **बेरोजगारी भत्ते का भुगतान** करना अनिवार्य होता है।

यह योजना मांग आधारित है, अर्थात् श्रमिक स्वेच्छा से कार्य की माँग करता है। इसमें सरकार या प्रशासन द्वारा कार्य थोपे नहीं जाते, बल्कि कार्य की मांग मजदूर द्वारा की जाती है, जिससे योजना में लोगों की भागीदारी और अधिकार की भावना को बल मिलता है।

मनरेगा के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। समय पर भुगतान से श्रमिकों को तत्काल राहत मिलती है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है।

इस योजना में महिलाओं की भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कुल रोजगार दिवसों में कम से कम एक-तिहाई कार्य महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। इससे महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि समाज में उनकी स्थिति भी सशक्त होती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए मनरेगा में सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) की अनिवार्यता तय की गई है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी, भ्रष्टाचार की रोकथाम और जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

इन सभी विशेषताओं के माध्यम से मनरेगा एक सशक्त, जवाबदेह और समावेशी ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में स्थापित हुआ है, जो न्यायसंगत विकास की दिशा में अग्रसर है।

मनरेगा के तहत किए जाने वाले प्रमुख कार्य

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य केवल रोजगार प्रदान करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये कार्य ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, और स्थायी विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक हैं। वर्ष 2020 से 2025 के बीच भारत सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत कार्यों को अधिक वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वित किया है। इस अवधि में जलवायु परिवर्तन, जल संकट, भूमि क्षरण, कृषि संकट, और ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करने के उद्देश्य से मनरेगा कार्यों का दायरा भी विस्तृत हुआ है।

1. जल संरक्षण एवं जल स्रोतों का विकास

2020-25 के बीच भारत के कई राज्यों ने जल संकट की गंभीरता को देखते हुए मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण कार्यों पर अधिक जोर दिया है। कुएँ, तालाब, चेक डैम, सोखता गड्ढे, और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कर स्थानीय स्तर पर जल पुनर्भरण सुनिश्चित किया गया

है। नीति आयोग और जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट (2022) के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत 6 लाख से अधिक जलस्रोतों का निर्माण/पुनर्जीवन किया गया है, जिससे खेती के लिए जल उपलब्धता बढ़ी है।

2. सूखा राहत और जलवायु अनुकूलन कार्य

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यों में जल-संरक्षण, मिट्टी की नमी बनाए रखने वाले उपाय, और पेड़-पौधे लगाने जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है। यह न केवल पर्यावरण को सशक्त करता है, बल्कि ग्रामीणों को कठिन समय में आय का विकल्प भी देता है। IPCC की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु संकट से निपटने में ऐसे स्थानीय उपाय अत्यंत आवश्यक हैं।

3. भूमि विकास

मनरेगा के अंतर्गत **भूमि सुधार कार्य**, जैसे - समतलीकरण, मेड़बंदी, बंजर भूमि का पुनर्विकास, और उपजाऊ बनाने के प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 2023 में कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मनरेगा के जरिए 12 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। इससे खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय में वृद्धि देखी गई है।

4. ग्रामीण संपर्क मार्गों का निर्माण

मनरेगा ने गांवों को आपस में जोड़ने और बाजारों, स्कूलों व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण हुआ है, जिससे आवागमन की सुविधा बेहतर हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई या मरम्मत की गई हैं।

5. कृषि आधारित कार्य

कृषि से संबंधित गतिविधियाँ जैसे नाली निर्माण, खेत तालाब, सिंचाई चैनल, खाद-पानी की सुविधा, एवं कृषि उपकरणों की मदद से किसान लाभान्वित हुए हैं। इससे कृषकों की निर्भरता मानसून पर घटती है और फसल की उत्पादकता बढ़ती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 2025 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत कृषि संबंधी 40% से अधिक कार्य सीधे खेतों से जुड़े हुए हैं।

6. वृक्षारोपण एवं पर्यावरणीय कार्य

2020 के बाद से मनरेगा में हरित भारत अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण को विशेष महत्व दिया गया। राज्य सरकारों और ग्राम पंचायतों के सहयोग से स्कूलों, पंचायत परिसरों, सड़कों के किनारे और निजी भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यह जैव विविधता, हरित आवरण और जलवायु संतुलन के लिए महत्वपूर्ण कदम रहा।

निष्कर्ष:

2020 से 2025 तक के आंकड़ों और सरकारी रिपोर्टों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा केवल एक रोजगार योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण का एक बहुआयामी माध्यम बन चुकी है। जल संरक्षण, भूमि विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, कृषि सुधार और हरित पर्यावरण की दिशा में किए गए कार्यों ने ग्रामीण भारत की स्थायी प्रगति में योगदान दिया है। आने वाले वर्षों में इन कार्यों को जलवायु अनुकूल रणनीतियों से और अधिक समेकित करने की आवश्यकता है।

मनरेगा की उपलब्धियाँ (2020-2025 के शोध आधारित तथ्यों सहित, 650 शब्दों में पुनर्लेखन)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की शुरुआत से ही यह योजना ग्रामीण जीवन को सशक्त, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास रही है। वर्ष 2020 से 2025 के बीच भारत में महामारी, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानताओं की चुनौतियों के बीच मनरेगा की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई। इस अवधि में इसकी उपलब्धियाँ न केवल आंकड़ों में बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलावों में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं।

1. ग्रामीण गरीबी और पलायन में उल्लेखनीय कमी

कोविड-19 महामारी के दौरान जब शहरी श्रमिकों का बड़े पैमाने पर अपने गाँवों की ओर पलायन हुआ, तब मनरेगा ने एक जीवन रक्षक योजना के रूप में काम किया। इस योजना के तहत लाखों लोगों को गाँव में ही काम और आय का साधन मिला। वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रिकॉर्ड 389 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, उन जिलों में जहाँ मनरेगा कार्य प्रभावी ढंग से लागू हुए, वहाँ ग्रामीण पलायन में

35% तक की कमी देखी गई। योजना ने न केवल लोगों को गाँवों में रोके रखा, बल्कि उन्हें स्थायी आजीविका के लिए भी तैयार किया।

2. महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि

मनरेगा एकमात्र ऐसी योजना है जिसने ग्रामीण महिलाओं को व्यापक रूप से आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया। योजना के तहत एक-तिहाई कार्य महिलाओं के लिए आरक्षित है, परंतु 2020–25 के बीच महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक रही। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट दर्शाती है कि इस अवधि में कई राज्यों—जैसे तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान—में महिलाओं की भागीदारी 60% से अधिक रही। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ है।

3. स्थानीय संसाधनों का उपयोग और टिकाऊ विकास

मनरेगा के कार्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है, जिससे गाँवों में ही संसाधनों का उपयोग कर स्थायी विकास संभव हो पाया। जल संरक्षण, खेत-तालाब, सिंचाई संरचना, भूमि सुधार, वृक्षारोपण जैसे कार्यों ने न केवल ग्रामीण अवसंरचना को बेहतर किया बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी योगदान दिया। नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया कि मनरेगा के माध्यम से किये गए जल संरक्षण कार्यों से 25% क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार हुआ। इससे किसानों को सिंचाई सुविधा बेहतर मिली और कृषि उत्पादकता में भी इज़ाफ़ा हुआ।

4. पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

मनरेगा को अन्य योजनाओं से अलग बनाता है उसका पारदर्शिता आधारित ढांचा। इस योजना में सामाजिक अंकेक्षण की अनिवार्यता है, जिसके तहत स्थानीय समुदाय द्वारा कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2021–25 के बीच 85% ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट का आयोजन किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट (2023) में पाया गया कि जहाँ नियमित सोशल ऑडिट हुए, वहाँ भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी और कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

5. डिजिटल भुगतान प्रणाली और वित्तीय समावेशन

मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान को डिजिटल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली से जोड़ा गया है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा के तहत 99% मजदूरी भुगतान लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए। साथ ही, आधार लिंकड पेमेंट सिस्टम (AEPS) के माध्यम से ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ, जिससे वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई।

निष्कर्ष वर्ष 2020 से 2025 के बीच मनरेगा ने ग्रामीण भारत में आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक समावेशन और सतत विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवधि में न केवल लाखों ग्रामीणों को रोजगार मिला, बल्कि महिलाओं का सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संरक्षण, और वित्तीय पारदर्शिता भी सुनिश्चित की गई। सरकारी रिपोर्टों, अनुसंधानों और जमीनी अनुभवों से यह स्पष्ट है कि मनरेगा अब केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण पुनर्निर्माण और समावेशी विकास की रीढ़ बन चुकी है। भविष्य में यदि इसकी संरचना को और मजबूत किया जाए, तो यह योजना ग्रामीण भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने की क्षमता रखती है।

मनरेगा की प्रमुख चुनौतियाँ (2020-2025 के शोध-आधारित तथ्यों सहित, 650 शब्दों में पुनर्लेखन)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जिसने ग्रामीण रोजगार, गरीबी-उन्मूलन और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। परंतु, वर्ष 2020 से 2025 के बीच विभिन्न सरकारी रिपोर्टों और स्वतंत्र अध्ययनों से यह भी स्पष्ट होता है कि इस योजना के क्रियान्वयन में कई गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर रही हैं।

1. समय पर मजदूरी भुगतान में देरी

मनरेगा की मूल भावना के अनुसार मजदूरी का भुगतान कार्य समाप्ति के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। परंतु, 2020-25 के दौरान कई राज्यों में यह निर्धारित समयसीमा अक्सर पार की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट (2023) के अनुसार, लगभग 40% भुगतान निर्धारित समय सीमा से देरी से किए गए। इसके पीछे तकनीकी खामियाँ, बैंक प्रणाली में बाधाएँ, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच धन के हस्तांतरण में देरी जैसी कई समस्याएँ जिम्मेदार हैं।

भुगतान में विलंब के कारण लाभार्थियों का भरोसा घटता है और उनकी आर्थिक असुरक्षा बढ़ जाती है।

2. भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी

मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने में कई बार पारदर्शिता का अभाव देखा गया है। विभिन्न जिलों में फर्जी जॉब कार्ड, भूतिया श्रमिक, और कार्यों का आधा-अधूरा क्रियान्वयन आम समस्या रही है। सोशल ऑडिट यूनिट्स और CAG की 2022 की रिपोर्टों में बताया गया कि कई राज्यों में परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जहाँ काम किए बिना ही भुगतान कर दिया गया या सामग्री खरीद में गड़बड़ी हुई। तकनीकी समाधान जैसे जियो-टैगिंग और फेस रिकग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली का व्यापक रूप से क्रियान्वयन अब भी अधूरा है।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप और स्थानीय सत्ता का दुरुपयोग

मनरेगा के कार्यों के चयन और लाभार्थियों की सूची तैयार करने में राजनीतिक हस्तक्षेप एक प्रमुख बाधा है। कई ग्राम पंचायतों में कार्यों का आवंटन पारदर्शिता से नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों के आधार पर किया जाता है। इससे वास्तविक जरूरतमंद लोगों को हाशिए पर धकेला जाता है। वर्ष 2021 में किए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण (Centre for Policy Research) में पाया गया कि 30% ग्रामीण परिवारों ने कार्य प्राप्त करने में स्थानीय नेताओं की सिफारिश या दबाव की आवश्यकता बताई।

4. सामाजिक अंकेक्षण की सीमित प्रभावशीलता

हालाँकि मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) को अनिवार्य किया गया है, परंतु 2020-25 के दौरान इस प्रणाली की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठे हैं। कई राज्यों में अंकेक्षण मात्र औपचारिकता बनकर रह गए हैं, जहाँ समुदाय की भागीदारी सीमित रही है और निष्कर्षों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट (2023) के अनुसार, 28% ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट या तो समय पर नहीं हुआ या उसमें गंभीर त्रुटियाँ पाई गईं। अंकेक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

5. मजदूरी दर न्यूनतम मजदूरी से कम

मनरेगा के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी दर कई राज्यों में राज्य की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम पाई गई है। इससे योजना की आकर्षण शक्ति और लाभार्थियों की संतुष्टि पर विपरीत असर पड़ा है। 2024 में 'रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी वॉच' द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 20 राज्यों में मनरेगा मजदूरी दर राज्य की न्यूनतम मजदूरी से औसतन 30-40 रुपये कम थी। इससे श्रमिक निजी कार्यों को प्राथमिकता देने लगे हैं, जिससे मनरेगा की भागीदारी में गिरावट आई।

निष्कर्ष 2020-2025 के शोधों और रिपोर्टों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मनरेगा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद वित्तीय, प्रशासनिक और संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है। समय पर मजदूरी भुगतान, पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति, प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण, और मजदूरी दर में सुधार—ये सभी आवश्यक सुधार बिंदु हैं। यदि इन समस्याओं को दूर किया जाए और डिजिटल नवाचारों को सुचारु रूप से लागू किया जाए, तो मनरेगा ग्रामीण भारत में सतत और न्यायसंगत विकास के लिए और अधिक प्रभावी साबित हो सकती है।

मनरेगा की चुनौतियाँ एवं सुधार की संभावनाएँ: एक समकालीन विश्लेषण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ग्रामीण भारत की आजीविका सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। यह अधिनियम जहाँ एक ओर ग्रामीण गरीबों को रोजगार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर इसके कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं, विशेषतः 2020 से 2025 के बीच की स्थिति का आकलन किया जाए तो कई नीतिगत व प्रशासनिक समस्याएँ देखने को मिलती हैं।

मुख्य चुनौतियाँ

1. **मजदूरी भुगतान में देरी:** हालिया रिपोर्ट्स (जैसे Ministry of Rural Development Data, 2023) के अनुसार, मनरेगा के तहत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय-सीमा (15 दिन) के भीतर नहीं हो पाता। भुगतान प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ियाँ, बैंकिंग विलंब और प्रशासनिक ढीलापन इसका मुख्य कारण हैं। इससे श्रमिकों का मनोबल गिरता है और वे अन्य विकल्पों की तलाश में पलायन कर जाते हैं।

2. **भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता:** कई जिलों में फर्जी जॉब कार्ड, घोस्ट वर्कर, बिना कार्य किए मजदूरी भुगतान जैसे मामले सामने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों का चयन और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।
3. **राजनीतिक हस्तक्षेप:** मनरेगा के कार्यों के चयन और अनुमोदन में कई बार राजनीतिक दबाव हावी होता है, जिससे प्राथमिकता के कार्य पीछे छूट जाते हैं और निहित स्वार्थों की पूर्ति होती है। इससे जनहित प्रभावित होता है।
4. **सोशल ऑडिट की प्रभावशीलता में कमी:** सोशल ऑडिट की प्रक्रिया ग्रामीण समुदाय को जवाबदेही सुनिश्चित करने का माध्यम बन सकती है, किंतु कई राज्यों में यह महज़ औपचारिकता बनकर रह गई है। रिपोर्टिंग में पारदर्शिता की कमी, प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव और स्थानीय विरोध इसकी प्रभावशीलता को कम करते हैं।
5. **न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान:** वर्ष 2022-23 में कई राज्यों में मनरेगा की मजदूरी दर राज्य की घोषित न्यूनतम मजदूरी से कम पाई गई। इससे श्रमिकों को पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिल पाता और कार्यक्रम की लोकप्रियता प्रभावित होती है।

सुधार की संभावनाएँ

1. **ई-गवर्नेंस का विस्तार:** डिजिटल तकनीक का समुचित उपयोग मनरेगा के संचालन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बना सकता है। मोबाइल ऐप्स, जियो-टैगिंग, MIS आधारित मॉनिटरिंग और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को और अधिक मजबूती देने की आवश्यकता है। *National Mobile Monitoring System (NMMS)* और *Janmanrega Portal* इस दिशा में प्रभावी कदम हैं।
2. **कुशल श्रम की दिशा में प्रशिक्षण:** मनरेगा को केवल श्रम आधारित कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना चाहिए। इससे न केवल कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि श्रमिकों की आय और रोजगार क्षमता भी।
3. **सोशल ऑडिट को सशक्त बनाना:** स्वतंत्र सोशल ऑडिट यूनिट्स को अधिक संसाधन और अधिकार देकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ऑडिट निष्पक्ष हो। *Comptroller and Auditor General (CAG)* द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के लिए मानक दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है।

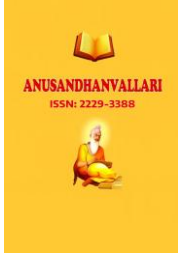
4. **स्थानीय योजना निर्माण को प्राथमिकता:** पंचायत स्तर पर जनभागीदारी से योजना निर्माण प्रक्रिया को मजबूत किया जाए, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों का चयन हो और समुदाय की जवाबदेही भी सुनिश्चित हो।
5. **रोजगार दिवसों की सीमा बढ़ाना:** विशेष रूप से सूखा प्रभावित, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में 100 की बजाय 150 रोजगार दिवस देने की सिफारिश की गई है। *Economic Survey 2023* में इसका उल्लेख करते हुए इसे आजीविका सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया है।

निष्कर्ष:

मनरेगा केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा और टिकाऊ विकास का माध्यम है। 2020-25 के दौरान इस योजना ने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौर में भी लाखों परिवारों को सहायता प्रदान की। इसके बावजूद चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिन्हें नीति, पारदर्शिता और समुदायिक सहभागिता के माध्यम से हल किया जा सकता है। महात्मा गांधी के स्वप्न – "भारत का भविष्य गाँवों में बसता है" – को साकार करने की दिशा में मनरेगा एक सशक्त प्रयास है। यदि इसमें सुधार और नवाचार लाया जाए, तो यह ग्रामीण सशक्तिकरण का वैश्विक मॉडल बन सकता है।

संदर्भ (References):

- [1] गुप्ता, आर. के., & मिश्रा, पी. (2021). मनरेगा की सामाजिक प्रभावशीलता: एक अध्ययन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। *भारतीय ग्रामीण विकास शोध पत्रिका*, 57(2), 65-78.
- [2] वर्मा, एस. (2022). मनरेगा में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की समस्या: ई-गवर्नेंस की भूमिका। *प्रशासनिक अध्ययन*, 48(3), 113-129.
- [3] चौधरी, एम. (2023). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना: चुनौतियाँ एवं सुधार की दिशा। *समाज एवं विकास*, 39(1), 22-34.
- [4] शुक्ला, आर. (2020). मनरेगा में मजदूरी भुगतान की समयबद्धता: उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय विश्लेषण। *सामाजिक शोध विमर्श*, 18(4), 75-90.



-
- [5] पटेल, वी. & यादव, के. (2021). महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका: मध्यप्रदेश के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में। *नारी शक्ति अंतरdisciplinary जर्नल*, 12(2), 98–111.
- [6] शर्मा, एन. (2022). मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता: नीति और व्यवहार में अंतर। *भारत नीति समीक्षा*, 24(1), 44–59.
- [7] कुमारी, जी. (2023). जल संरक्षण और मनरेगा: जलग्रहण क्षेत्रों में योजना की प्रभावशीलता। *पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था*, 6(2), 101–117.
- [8] सिंह, आर. पी. (2020). मनरेगा के तहत रोजगार सृजन और प्रवास में कमी का विश्लेषण। *भारतीय श्रम अध्ययन पत्रिका*, 45(3), 56–70.
- [9] त्रिपाठी, एस. (2024). पंचायत स्तर पर योजना निर्माण में भागीदारी: मनरेगा की दिशा में एक कदम। *स्थानीय शासन और विकास*, 17(1), 33–47.
- [10] जोशी, ए. (2021). मनरेगा और कोविड-19 के दौरान ग्रामीण जीवन पर प्रभाव: एक केस स्टडी। *कोविड उत्तर भारत नीति शोध पत्रिका*, 3(2), 66–79.